राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्सः 5159600,5159699 फैक्सः 5159694—97

परिपत्र

सभी भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एंव वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आते हैं एवं इन प्रोजेक्ट को राज्य मंडल से निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थापना सम्मति एवं संचालन करने से पूर्व संचालन सम्मति लेना आवश्यक है।

अधिकांशतः ऐसा पाया गया है कि भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट राज्य मंडल से स्थापना सम्मति तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन राज्य मंडल मे बिना संचालन सम्मति आवेदन के ही संचालन प्रारंभ कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से प्रोजक्ट प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालन शुरू कर देते हैं, तथा फ्लैट मालिकों को उपयोग हेतु हस्तानांतरित कर देते हैं। इस संदर्भ में राज्य मंडल द्वारा परिपत्र दिनांक 02.03.2015 भी जारी किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर राज्य मण्डल के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप प्रोजेक्टस का निरीक्षण कर जल एवं वायु अधिनियम की पालना सुनिश्चित करें एवं बिल्डर्स /समस्त प्राधिकारियों के संज्ञान में लावें कि बिना संचालन सम्मति प्राप्त किये प्रोजेक्ट उपयोग में लेने पर उनके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में सूचना दिनांक 31.1.2020 तक मण्डल मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

—Sd—
(डॉ. विजय कुमार सिंघल)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता

क्रमांकः F.14(5-ADM)/RPCB/PLG/ 2719-2754 दिनांकः 31-12-2019

निम्नांकित को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
4. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
5. शाखा प्रभारी प्लानिंग/बी.एम.डब्लयू./हजारडस वेस्ट/टैक्सटाइल/सी.पी.एम./एम.यू.आई.डी./एच.ओ.पी./ई—वेस्ट/डी.एफ./आई.टी./सी.डी/एडमिन/माइन्स/लीगल/एस.पी.आई.ओ/लिक्विड वेस्ट, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर/भिवाडी/बालोतरा/भीलवाडा/भरतपुर/बीकानेर/चित्तौडगढ/जयपुर(उतर)/जयपुर(दक्षिण)/जोधपुर/किशनगढ/कोटा/पाली/सीकर/उदयपुर ।
7. शाखा प्रभारी(आई. टी..), मुख्यालय, जयपुर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम–

क्रम संख्या	भवन निर्माण / ग्रुप हाउसिंग / टाउनशीप प्रोजेक्ट का नाम	पता	बिल्ट अप एरिया / Development Project का कुल एरिया	कमिशनिंग डेट	पर्यावरणीय स्वीकृति की स्थिति	स्थापना / संचालन सम्मति की स्थिति	प्रोजेक्ट द्वारा जल एवं वायु अधिनियम की अनुपालना नहीं करने पर की गई कार्यवाही का विवरण

Scanned by CamScanner